हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	भगवानसिंह बनाम राज सरकार
12/3/25	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 8/4/25 को पेश हो।
8/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित तहसीलदार उच्चैन से जवाब अप्राप्त पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 22/4/25 को पेश हो। Bharti
22/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित तहसीलदार उच्चैन से जवाब अप्राप्त पत्रावली वास्ते इंतजार जवाब तहसीलदार दिनांक 21/5/25 को पेश हो। Bharti
21/5/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 21/5/25 को पेश हो।
21/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित तहसीलदार उच्चैन से जवाब प्राप्त की शा० मि० हो। पत्रावली में अधि० प्रार्थी की बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27/5/25 को पेश हो। Bharti
27/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Bharti उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)

<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)</u>

पीठासीन अधिकारी:- सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र क्रमांक:- 07 / 2024

1.भगवानसिंह पुत्र रामसिंह जाति गूजर निवासी खरैरा तहसील उच्चैन, जिला भरतपुर।
2.रामस्वरूप पुत्र रामसिंह जाति गूजर निवासी खरैरा तहसीलदार उच्चैन जिला भरतपुर।

.....................प्रार्थीगण

बनाम

1.लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,129 एल.आर.ए.

उपस्थिति

1.श्री मुकेश चंद शर्मा एडवोकेट

निर्णय **दिनांक:--27.05.2025**

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128,129 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 630,631 बाके ग्राम खरैरा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज में स्थित है। जिसके प्रार्थीगण संपूर्ण के खातेदार कास्तकार काबिज आराजी है। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त आराजी की पैमाइश हेतु तहसीलदार उच्चैन को माह जून में प्रार्थना पत्र पेश किया था। लेकिन अभी तक विधि सम्मत कभी पैमाइश नहीं हो सकी है। जिसके कारण प्रार्थी अपनी उक्त आराजी की सीमाबंदी नहीं कर पा रहा है। आराजी की सीमाबंदी नहीं होने के कारण प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर सही प्रकार से काबिज होकर काश्त नहीं ले पा रहा है। इसके लिये आराजी की पैमाइश कर पत्थर गढी कराया जाना आवश्यक हो गया है। खसरा नम्बर 630,631 बाके ग्राम खरैरा तहसील उच्चैन की चारों दिशाओं का सीमाज्ञान कराया जाकर पत्थरगढी कराये जाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी लैण्ड होल्डर तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया है कि खसरा नम्बर 630 व 631 की दिनांक 05.06.2024 व दिनांक 01.07.2024 को गठित टीम द्वारा पैमाइश कार्य किया गया लेकिन मुताबिक नक्शा एवं मौके का मिलान नहीं होने से पैमाइश कार्य नहीं किया

Bharti
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

जा सका। दिनांक 01.07.2024 को ख नं0 630 व 631 ग्राम खरैरा की पैमाइश हेतु पुलिस जाप्ता एवं गठित राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर ख0नं0 625 के दक्षिणी मेढ़ की मैढ़ को मुस्तकिल बिन्दु मानकर उत्तर दिशा की तरफ जरीक चलाकर मुताबिक नक्शा शीट के मौके का मिलान किया गया लेकिन मुताबिक नक्शा शीट के मौके का मिलान नहीं होता। पडौसी खसरा नंबरान नक्शा शीट के मुताबिक मौके पर मिलान नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में पैमाइश कार्य किया जाना संभव नहीं है।

मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की वहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं खसरा नम्बर 630,631 का सीमाज्ञान कराया जाकर पत्थरगढी प्रार्थी के खर्चे पर करवाये जाने का निवेदन किया।

मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता की वहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं जवाव तहसीलदार उच्चैन का अवलोकन किया गया। तहसीलदार उच्चैन द्वारा पेश जवाव से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 630,631 में सीमाज्ञान हेतु मुताबिक नक्शा एवं मौके का मिलान नहीं होने के कारण ऐसी स्थिति में सीमाज्ञान कराया जाना सम्भव नहीं है चूंकि सीमाज्ञान नहीं कराया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है:–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Bharti

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर